

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी सं. Resto 32/2017/जयपुर जिला

उपवान ओमल डेडिंग / CTO

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|---------------------------------|--|
|---------------|---------------------------------|--|

S.1017

एकलमीठ केम्प जयपुर
श्री राजीव चौधरी - सदस्य

वकील प्रवीं श्री जी.टी. जावरीया तथा श्री रामकरण सिंह,
DCA उपस्थित।
वकील प्रवीं ने निवेदन किया कि इनके पास दिनांक
25.5.2017 के तारीख तबदील की प्रतीनापत्र प्रस्तुत कर
दिया गया था, तदनुसार श्री माननीय एकलमीठ ने इनके
प्रकरण को अग्रिम धारण कर लेने की स्वीकृति दे दी
है। अतः रैस्टोरेशन प्रतीनापत्र को स्वीकार कर मूल प्रतीनापत्र
को पुनः जम्बर पर लाया जावे।
पत्रावली व तबदील को अग्रिम निवेदन किया गया।
वकील प्रवीं की प्रतीनापत्र को स्वीकार किया जाकर
रैस्टोरेशन प्रतीनापत्र सं. 32/2017 को स्वीकार किया जावे।
इसका मूल प्रतीनापत्र संख्या 644/2010/जयपुर को पुनः
जम्बर पर लाया जावे है। मूल प्रतीनापत्र 644/2010 को
दिनांक 18/11/2018 को एकलमीठ केम्प जयपुर के निमित्त
निमित्त किया जाता है।

आदेश सुनाया गया

Ans
05/10/17

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर